न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, फुलियाकंला जिला भीलवाड़ा (राज.)

प्रकरण संख्या – 45/2020 पीठासीन अधिकारी – अमित कुमार वर्मा (आर.ए.एस.)

अनवान

1 हगामा पिता नारायण माली उम्र वयस्क निवासी खेडाहेतम तहसील फुलियाकलां जिला भीलवाडा राज. ————————(प्रार्थी)

वनाम

1 केदारमल पिता बद्री माली उम्र वयस्क निवासी खेडाहेतम तहसील फुलियाकलां जिला भीलवाडा राज.
2 महावीर पिता मांगीलाल वैष्णव उम्र वयस्क निवासी खेडाहेतम तहसील फुलियाकलां जिला भीलवाडा राज.
3 रघुवीर पिता मांगीलाल वैष्णव उम्र वयस्क निवासी खेडाहेतम तहसील फुलियाकलां जिला भीलवाडा राज.
4 द्वारका पिता मांगीलाल वैष्णव उम्र वयस्क निवासी खेडाहेतम तहसील फुलियाकलां जिला भीलवाडा राज. ————————(अप्रार्थीगण)

उपस्थित–
प्रार्थी अधिवक्ता– श्री सुनील कुमार शर्मा

प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 111, 128, रा.भू.राजस्व अधिनियम 1956 बावत कराने पत्थरगढ़ी आराजीयात

दिनांक – 9-4-2021

निर्णय

प्रार्थी की ओर से एक प्रार्थना पत्र अर्न्तगत धारा 111, 128 रा.भू.राजस्व अधिनियम 1956 इस न्यायालय मे दिनांक 27.06.2020 का प्रस्तुत कर निवेदन किया कि वाके **ग्राम खेडाहेतम पटवार मण्डल सणगारी भू.अ.नि. फुलियाकलां तहसील फुलियाकंला** मे उसके खाते की कृषि भूमि खतौनी संख्या 144 के **आ.न. 730/202 रकबा 0.17 हैक्टेयर, भूमि** स्थित हैं। उक्त वादग्रस्त भूमि के विपक्षीगण पड़ौसी हैं। प्रार्थी एवं विपक्षीगण के मध्य आराजीयात के सीमा चिह्न नही होने से आये दिन सीमा संवंधी विवाद उत्पन्न होता रहता हैं। जिससे कि प्रार्थी अपने खाते की कृषि भूमि की पत्थरगढ़ी कराना चाहता हैं। प्रार्थनापत्र स्वीकार किया जाकर पत्थरगढ़ी का आदेश प्रदान कराया जावे।

प्रस्तुत प्रार्थनापत्र इस न्यायालय मे दिनांक 29.06.2020 को दर्ज रजिस्टर किया जाकर विपक्षीगणों को वजह जाहिर करने हेतु नोटिस जारी किये गये। विपक्षीगणों को जारी नोटिस वाद तामील रिकार्ड पर उपलब्ध है। किन्तु सूचित होने के उपरान्त भी विपक्षीगण नियत सुनवाई दिनांक 31.03.2021 पर वास्ते अपना पक्ष रखने, हाजिर नही होने से उनके विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही के आदेश पारित किये गये। प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पर अधिवक्ता प्रार्थीया को सुना गया। प्रस्तुत वहस प्रार्थनापत्र पर गौर किया गया। पत्रावली व पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व अभिलेखों का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। प्रकरण के अवलोकन से यह तथ्य प्रमाणित हैं कि वादग्रस्त भूमि प्रार्थी के खाते की कृषि भूमि हैं और इस प्रकार न्यायिक दृष्टि से एक खातेदार अपने खाते की कृषि भूमि की पत्थरगढ़ी कराने का हकदार हैं। अतः प्रार्थनापत्र प्रार्थीगण न्याय हित में स्वीकार योग्य प्रतीत होता है।

आदेश

प्रार्थी का प्रार्थनापत्र विरूद्ध विपक्षीगण स्वीकार किया जाकर वाके **ग्राम खेडाहेतम पटवार मण्डल सणगारी भू.अ.नि. फुलियाकलां तहसील फुलियाकंला** मे उसके खाते की कृषि भूमि खतौनी संख्या 144 के **आ.न. 730/202 रकबा 0.17 हैक्टेयर,** भूमि की पत्थरगढ़ी वसामलात पक्षकारान की जाने का आदेश पारित किया जाता है। उक्त आदेश की पालना के लिए भू–अभिलेख निरीक्षक फुलियाकलां को नियमानुसार फीस पर कमिश्नर नियुक्त किया जाता है। कमिश्नर फीस प्रार्थी द्वारा अदा की जायेगी। भू–अभिलेख निरीक्षक पत्थरगढ़ी से न्यूनतम तीन दिन पूर्व सभी पड़ौसियान को उपरोक्त आराजियात की पत्थरगढ़ी हेतु लिखित सूचना पत्र से समय एवं तिथि बावत् सूचित करेंगे। मौके पर विवाद होने, किसी अन्य न्यायालय से आराजीया[illegible] होने की दशा में तथा मौके पर खड़ी फसल होने की स्थिति में पत्थरगढ़ी नहीं की जा[illegible] पक्षकारान मय[illegible] की मौजूदगी में ही पत्थरगढी की जावें। मुस्तकीन विन्दू को आधार मानकर पत्थरगढ़ी किए जाने का आदेश [illegible] किया जाता है। आदेश की प्रति पालनार्थ तहसीलदार फुलियाकंला को भिजवाई जावे। खर्चा फरीकैन अपना [illegible] करें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

यह आदेश आज दिनांक 9-4-2021 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Amit Kumar Verma
Date: 2021.06.29 16:44:52 IST
Reason: SelfAttested

(अमित कुमार वर्मा)
उपखण्ड अधिकारी,
फुलियाकंला, जिला भीलवाडा